

**FORM No.III**  
**फर्द अहकाम**  
(नियम 26)

अज अदालत ..... मुकाम .....

..... बनाम .....

करम मुकदमा ..... नं० ..... सन् .....


तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
04.06.2019	<p>वादपत्र सरकार जरिये तहसीलदार बेगूँ द्वारा डी.आई.एल. आर.एम.पी के तहत हिस्से/खातेदारों कि घोषणा हेतु प्रस्तुत किया गया, जो माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर के आदेश/परिपत्र क्रमांक/बीआर/एलआर/NLRMP/ एफ.126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के अनुसार डी.आई.एल.आर.एम.पी. के तहत हिस्से/ खातेदारों कि घोषणा हेतु दिये गये निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 कि धारा 88 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जावे। पत्रावली आइन्दा वास्ते तलबी दिनांक 18.06.2019 को पेश हो।</p>	
18.06.2019	<p>पत्रावली आज पेश हुई। समस्त पक्षकार उपस्थित नहीं आने से पत्रावली अब कोर्ट केम्प नेरवाई दिनांक 27.6.19 को पेश हो।</p>	<p>या श ला 5</p>
27.06.2019	<p>पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत केम्प नेरवाई पर रखायी गई। वारी केरोकर तहसीलदार व अन्य प्रतिवादीगण पक्षकार उपस्थित। सभी पक्षकारों को मौजा आभला आ.नं. 758, 759, 760, 761, 841, 842, 843, 844 हिताई रकबा 1-87 है। भूमि में सहखातेदारों का हिस्सा घोषणा किये जाने के संबंध में जानकारी दी गई। सहखातेदारों के बतौपेशजरे अनुसार हिस्से की घोषणा किये जाने के संबंध में सहमती स्वरूप हस्ताक्षर कराये गए।</p>	<p>नवाश अवपमान</p>

**FORM No.III**  
**फर्द अहकाम**  
**(नियम 26)**

अज अदालत ..... मुकाम .....

..... बनाम .....

करम मुकदमा ..... नं. .... सन् .....

तारिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
	<p>अतः वाद अन्तर्गत धारा 88 R.A. एवं 136 LR Act का स्वीकार किया जा रहा है तथा लागू अनुसार दिखले की घोषणा की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर व डिफ़ी लेकर शामिल पत्रावली की गई। डिफ़ी की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगं को भेजी जा रही है। पत्रावली फैसलेशुमार की जाकर नम्बर से कम हो।</p> <p align="right">   <b>सहायक जज (अतिरिक्त)</b>  <b>बेगं (तहसीलदार)</b> </p>	<p>खास          दीवाना लाल          हुजाबी          अकमल          मंगल सोहनलाल          अमज नानु          दीवाना लाल          गैरमल          नानु          लाल शंकर          अमज नानु          अमज नानु          लाल शंकर          अमज नानु</p>



न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज०)  
संख्या : 52/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगू तहसील बेगू जिला चित्तौड़गढ़  
वादी

बनाम

1. घीसालाल पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
2. सन्तोष कुमार पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
3. भंवरीबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
4. ठेकुबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
5. लाडबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
6. राधाबाई पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा तह० बेगू
7. जमनाबाई पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा
8. रामपाली पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा
9. बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
10. हजारी पिता देवा बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
11. रतनलाल पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
12. रेखा पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
13. रेणा पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
14. लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
15. सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
16. काना पिता सुरजिया बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
17. मंजु पिता घीसालाल बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
18. शांतिबाई पत्नि घीसालाल बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
19. नानूराम पिता मोडा बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
20. भंवरलाल पिता भवना बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
21. शंकर पिता उँकार बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
22. प्रकाश पिता उँकार बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
23. प्यारा पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
24. मांगीबाई पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू
25. घीसालाल पिता नारु बलाई निवासीस आमल्दा तह० बेगू

प्रतिवादीगण

उपस्थित : तहसीलदार, बेगू  
पैरोकार वादी

प्रतिवादीगण सं. 1से 25 निर्णय दिनांक : 27.06.2019

निर्णय वाद अ०धा० 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल.आर.एक्ट

उक्त वाद पत्र सरकार की ओर से तहसीलदार बेगू द्वारा डी.आई.एल.आर.एम.पी. DILRMP के तहत हिस्से की घोषणा बाबत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया जो कि माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश/परिपत्र/कमांक/ बीआर/ एलआर/एन.एल. आर.एम.पी./एफ-126/पार्ट-2/10164-96 दिनांक 26.09.2017 के तहत हिस्से की घोषणा हेतु दिये निर्देशानुसार आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 एवं एल.आर.एक्ट की धारा 136 के तहत प्रस्तुत किया गया, जो बाद जाँच दर्ज रजिस्टर किया गया उक्त पत्रावली को कैम्प कोर्ट नंदवाई पर वास्ते सुनवाई हेतु रखाया गया, दिनांक 18.06.2019 को सभी काश्तकार उपस्थित नहीं होने के कारण पत्रावली को आगामी पेशी 27.06.2019 को नियत की गई।

वाद पत्र में तहसीलदार बेगू द्वारा उनके पत्रांक 859 दिनांक 31.05.2019 से अवगत कराया कि ग्राम आमल्दा में खा.सं. 162 सं.2071-74 आ.नं. 758, 759, 760, 761,

सहायक कलक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
चिंतौड़ जिला

841, 842, 843, 844, किता-8 रकबा 1.87 हैक्टर भूमि खातेदारान के नाम दर्ज होकर उनके हिस्से दर्ज नहीं है।

अतःसरकार का कार्यक्रम DILRMP के तहत खातो के हिस्से डालकर उन्हें ऑनलाईन किया जाना आवश्यक है। सरकार के आदेश क्रमांक 10164-96 के तहत उनके हिस्से करना आवश्यक होने के कारण आर.टी.एक्ट 1955 की धारा 88 सह एल आर.एक्ट 136 के तहत घोषणा किये जाने की अनुशंसा की गई।

प्रतिवादीगण जरिये नोटिस तलब किया जाकर लोक अदालत कैम्प ग्राम नंदवाई पर दिनांक 27.06.2019 को रखाया गया, पत्रावली में समस्त प्रतिवादीगण उक्त तारीख पर उपस्थित आए जिन्हें कैम्प कोर्ट में सुना गया, प्रतिवादीगण उपस्थित पक्षकारों ने बताया कि वाद वर्णित भूमि ग्राम आमल्दा किता- 8 रकबा 1.87 हैक्टर उनकी पैतृक भूमि होकर वेणाजी से उसके तीन पुत्रों धन्ना, गोकल व गुला के नाम विरासत से दर्ज हो प्रत्येक का  $1/3-1/3-1/3$  हिस्सा बनता है। धन्ना गोकल गुला के फोट होने से उनके वारिसान के नाम दर्ज हुए है। काना पिता सुरजिया द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा  $1/6$  मे से  $1/12$  हिस्सा का बेचान श्रीमति मंजु पिता घीसालाल बलाई को, उदा पिता चमना द्वारा स्वयं का निहित हिस्सा घीसालाल पिता नारु बलाई को एवं भवाना काना नाथू पिता बालु का निहित हिस्सा  $1/12$  व मोत्या बेवा कासिया का निहित हिस्सा  $1/12$  का बेचान शांति बाई पत्नि घीसालाल बलाई  $1/6$  को किया गया। जिसका मौके पर सजरा बनाया जाकर सजरे में हिस्से दर्ज किये गए। इस प्रकार हिस्से दर्ज करने हेतु सभी प्रतिवादीगण सहमत है।


रेकार्ड का अवलोकन किया गया, सैटलमेन्ट मे उक्त वर्णित आराजी किता 8 रकबा 1.87 हैक्टर देवा वल्द धन्ना, काना पिता सुरजिया, बालु मोडा आरस्या औकार पिता गुला चमना पिता गोकल बलाई सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। विरासत ना.सं. 92 से देवा के बजाय मांगीलाल कूका हजारी का नाम, ना0सं0 978 से कूका के बजाय रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल सोहनीबाई पत्नि कूका, ना.सं. 337 से चमना पिता गोकल के बजाय प्यारा उदा मांगीबाई पिता गोकल का नाम ना.सं. 92 से बालू पिता गुला के बजाय भवाना काना नंदा पिता बालू, ना.सं. 130 मोडा के बजाय नानूराम पिता मोडा, ना.सं. 738 से भवाना के बजाय भंवरलाल सायरीबाई पिता भवाना घीसी पत्नि स्व. भवाना, ना. सं. 474 से कास्या के बजाय मोत्याबाई पत्नि कास्या, ना.सं. 130 से उँकार के बजाय शंकर कूका प्रकाश पिता उँकार, ना.सं. 1131 वसीयत से कूका पिता उँकार के बजाय भंवरलाल पिता भवाना एवं ना.सं. 1142 मांगीलाल पिता देवा के बजाय घीसालाल सन्तोष कुमार भंवरीबाई डेकूबाई लाडबाई पिता मांगीलाल हि.ब. राधाबाई जमनाबाई रामपाली पिता कन्हैयालाल माता डालीबाई, रामपाली ना.बा.स.प. माता डेकूबाई, बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल का नाम, ना.सं. 896 बेचान से काना पिता सुरजिया का निहित  $1/6$  का  $1/2$  कुल का  $1/12$  हिस्सा का बेचान श्रीमति मंजु पिता घीसालाल बलाई को किया गया। ना.सं. 347 से उदापिता चमना का निहितहिस्साकाबेचान घीसालाल पिता नारु को किया गया। भवाना काना नाथू पिता बालु का निहित हिस्सा  $1/12$  व मोत्या बेवा कास्या का निहित हिस्सा  $1/12$  का

सहायक हैक्टर  
(उपस्थिति अधिकारी)

बेंचान शांतिबाई पत्नि घीसालाल बलाई को 1/6 का किया गया। सजरे अनुसार हिस्से की जानकारी की गई जिसमें वाद वर्णित आराजी में तीन भाई धन्ना गोकल गुला का 1/3-1/3-1/3 हिस्सा बताया जो सही है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की खाता नं. 162 सं.2072-74 आ.नं. 758, 759, 760, 761, 841, 842, 843, 844, किता-8 रकबा 1.87 हैक्टर भूमि में खातेदार श्री घीसालाल 1/126 सन्तोषकुमार 1/126, भंवरीबाई 1/126, ठेकुबाई 1/126, लाडबाई 1/126 पिता मांगीलाल, राधाबाई, जमनाबाई रामपाली पिता कन्हैयालाल (माता डालीबाई), रामपाली ना.बा. स.प. मौसी ठेकुबाई हि.ब.1/126, बालीबाई पत्नि स्व.मांगीलाल 1/126, हजारी पिता देवा 1/18 रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल हि.ब. 1/36 सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका 1/36 काना पिता सुरजिया 1/12, मंजु पिता घीसालाल 1/12, शांतिबाई पत्नि घीसालाल 1/6, नानूराम पिता मोडा 1/12, भंवरलाल पिता भवाना 1/36, शंकर 1/36, प्रकाश 1/36 पिता उँकार, प्यारा पिता चमना 1/9 मांगीबाई पुत्री चमना 1/9, घीसालाल पिता नारु 1/9 बलाई साकिन देह खातेदारी रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

निर्णय आज दिनांक 27.06.2019 को कोर्ट कैम्प नंदवाई पर लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
(रमेश सी.पी. पुनाडिय) 27/6/19  
सहायक कलेक्टर (उपखान्द अधिकारी)  
बेगू जिला (बिहार)



मूल वाद में अंतिम डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)  
संख्या : 52/2019

सरकार जरिये तहसीलदार, बेगूँ तहसील बेगूँ जिला चितौडगढ़  
वादी

बनाम

1. घीसालाल पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
2. सन्तोष कुमार पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
3. भंवरीबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
4. टेकुबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
5. लाडबाई पिता मांगीलाल बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
6. राधाबाई पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा तह0 बेगूँ
7. जमनाबाई पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा
8. रामपाली पिता कन्हैयोलाल (माताडालीबाई) बलाई निवासी आमल्दा
9. बालीबाई पत्नि स्व. मांगीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
10. हजारी पिता देवा बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
11. रतनलाल पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
12. रेखा पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
13. रेणा पिता देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
14. लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
15. सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
16. काना पिता सुरजिया बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
17. मंजु पिता घीसालाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
18. शांतिबाई पत्नि घीसालाल बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
19. नानूराम पिता मोडा बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
20. भंवरलाल पिता भवाना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
21. शंकर पिता उँकार बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
22. प्रकाश पिता उँकार बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
23. प्यारा पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
24. मांगीबाई पिता चमना बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ
25. घीसालाल पिता नारू बलाई निवासीस आमल्दा तह0 बेगूँ

प्रतिवादीगण

वादी की ओर से पैरोकार तहसीलदार श्री दाना राम की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण समस्त की उपस्थिति में इस वाद अ.धा. 88 आर.टी.एक्ट सह 136 एल. आर.एक्ट में आज दिनांक 27.06.2019 को पीठासीन अधिकारी रमेश चन्द्र सीरवी पुनाडिया आर.ए.एस सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष कोर्ट कैम्प नंदवाई पर अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से दावा पत्रावली में अंतिम डिक्री निम्न प्रकार से दी जाती है :


अतः वाद वादी का अ.धा. 88 राज0काश्त0अधि0 सहं धारा 136 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाता है, मौजा आमल्दा की खाता नं. 162 सं.2072-74 आ.नं. 758, 759, 760, 761, 841, 842, 843, 844, किता-8 रकबा 1.87 हैक्टर भूमि में खातेदार श्री घीसालाल 1/126 सन्तोषकुमार 1/126, भंवरीबाई 1/126, टेकुबाई 1/126, लाडबाई 1/126 पिता मांगीलाल, राधाबाई, जमनाबाई रामपाली पिता

सहायक कलेक्टर  
(उपखण्ड अधिकारी)  
बेगूँ (चितौडगढ़)

कन्हैयालाल (माता डालीबाई), रामपाली ना.बा. स.प. मौसी ठेकुबाई हि.ब.1/126, बालीबाई पत्नि स्व.मांगीलाल 1/126, हजारी पिता देवा 1/18 रतनलाल रेखा रेणा पिता देवीलाल लीलाबाई पत्नि स्व. देवीलाल हि.ब. 1/36 सोहनीबाई पत्नि स्व. कूका 1/36 काना पिता सुरजिया 1/12, मंजु पिता घीसालाल 1/12, शांतिबाई पत्नि घीसालाल 1/6, नानूराम पिता मोडा 1/12, भंवरलाल पिता भवाना 1/36, शंकर 1/36, प्रकाश 1/36 पिता उँकार, प्यारा पिता चमना 1/9 मांगीबाई पुत्री चमना 1/9, घीसालाल पिता नारू 1/9 बलाई साकिन देह खातेदारी रहन बदस्तूर रखे जाने की घोषणा की जाती है। उक्त निर्णय पर सभी सहखातेदारान द्वारा सहमति से हस्ताक्षर किये जाकर निर्णय को स्वीकार किया गया तथा निर्णय अनुसार खाते में हिस्से दर्ज कराने हेतु सभी सहखातेदार सहमत हुए। उक्त निर्णय की डिक्री तैयार की जाकर राजस्व रिकोर्ड में हिस्सा दर्ज किये जाने हेतु पालनार्थ तहसीलदार, बेगू को भिजवाई जाती है।

अंतिम डिक्री आज दिनांक 27.06.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई है।



 27/6/19  
(रमेश सिंह मुन्नाडिया)  
सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी)  
बेगू जिला-चितीडगढ़

प्रतिलिपि तहसीलदार, बेगू को पालनार्थ प्रस्तुत है।